

प्रेषक,

दिवाकर प्रसाद सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सभी उपायुक्त/सभी अनुमण्डल पदाधिकारी/
सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/सभी अंचलाधिकारी,
झारखण्ड।

राँची, दिनांक 25/03/17

विषय :- भारत सरकार के सिविल (असैनिक) पदों पर नियुक्ति के लिए आरक्षण के निमित्त अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) की केन्द्रीय सूची में समाविष्ट जातियों की सूची का परिचारण।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संदर्भ में इस विभाग के पत्रांक-732 दिनांक-25.01.2012 एवं पत्र सं0-2632, दिनांक-13.03.2014 द्वारा झारखण्ड राज्य के लिए OBC की केन्द्रीय सूची में समाविष्ट जातियों की सूची इस विभाग द्वारा परिचारित की गई है।

विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार OBC की केन्द्रीय सूची में सम्मिलित जातियों के संबंध में कई बार भ्रान्तियों की सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं। अतः OBC के केन्द्रीय सूची में झारखण्ड राज्य की जिन जातियों का नाम समाविष्ट है उसकी अद्यतन सूची (सुसंगत अंश) एतद् द्वारा संलग्न कर भेजी जा रही है-

क्र0	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना	सम्बन्धित गजट संख्या
1	12015/2/2007-बी0सी0सी0, दिनांक-18.08.2010	232, दिनांक-18.08.2010
2	12015/02/2007-बी0सी0सी0, दिनांक-11.10.2010	274, दिनांक-12.10.2010
3	12015/13/2010-बी0सी0, दिनांक-08.12.2011	257, दिनांक-08.12.2011
4	12015/05/2011-बी0सी0-1, दिनांक-17.02.2014	41, दिनांक-17.02.2014
5	12011/6/2014-बी0सी0-1, दिनांक-06.12.2016	363, दिनांक-07.12.2016

2. प्रसंगवश उल्लेख करना है कि ओ0बी0सी0 की केन्द्रीय सूची में समाविष्ट झारखण्ड राज्य की विभिन्न जातियों के लिए जाति प्रमाण पत्र इस विभाग के पत्र सं0-7549, दिनांक-25.07.2014 (अनुलग्नक सहित प्रति संलग्न) द्वारा परिचारित विहित प्रपत्र में जारी किया जाना है, जिसमें सम्बद्ध जाति, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के जिस संकल्प के माध्यम से ओ0बी0सी0 की केन्द्रीय सूची में सम्मिलित की गई है, की संकल्प सं0 एवं तिथि का उल्लेख आवश्यक है।

3. अतः अनुरोध है कि केन्द्रीय सिविल (असैनिक) पदों पर नियोजन एवं केन्द्रीय शिक्षण संस्थानों में नामांकन में आरक्षण की सुविधा प्राप्त करने के निमित्त जारी किये जाने वाले जाति प्रमाण पत्र इस विभाग के पत्र सं0-7549, दिनांक-25.07.2014 द्वारा परिचारित विहित प्रपत्र में विहित रीति से निर्गत किया जाना सुनिश्चित करने की कृपा की जाय।


विश्वासभाजन,

(दिवाकर प्रसाद सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक:-14/नीति (क्रिमीलेयर)-07/2002 का0...3970/राँची, दिनांक-25/03/17
प्रतिलिपि :- अनुलग्नक की प्रति सहित सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेन्स
विभाग, झारखण्ड, राँची को तदनुसार ऑन-लाईन जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने सम्बन्धी अन्य
पिछड़े वर्गों (OBC) की सूची परिवर्द्धित करने हेतु अग्रसारित।

अनुरोध है कि ओबीसी की केन्द्रीय सूची में समाविष्ट झारखण्ड राज्य की विभिन्न
जातियों के लिए जाति प्रमाण पत्र इस विभाग के पत्र सं0-7549, दिनांक-25.07.2014
(अनुलग्नक सहित प्रति संलग्न) द्वारा परिचारित विहित प्रपत्र में जारी किया जाना है, जिसमें
सम्बद्ध जाति, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के जिस संकल्प के
माध्यम से ओबीसी की केन्द्रीय सूची में सम्मिलित की गई है, की संकल्प सं0 एवं तिथि का
उल्लेख किया जाना सुनिश्चित करने की कृपा की जाय।


सरकार के संयुक्त सचिव।



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग 1—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 232]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 18, 2010/श्रावण 27, 1932

No. 232]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 18, 2010/SHRAVANA 27, 1932

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 18 अगस्त, 2010

फा. सं. 12015/2/2007-बी.सी.सी.—भारत सरकार ने कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) के का.ज्ञा. सं. 36012/22/93-स्था. (एस.सी.टी.), दिनांक 8 सितम्बर, 1993 के तहत अन्य पिछड़े वर्गों के पक्ष में सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने वाले केन्द्र सरकार के अधीन सिविल पदों और सेवाओं में 27% रिक्तियाँ आरक्षित की हैं।

2. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 (1993 का 27) के उपबंधों के अनुसार, अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूचियों में शामिल करने के अनुरोधों तथा अधिक शामिल करने और कम शामिल करने की शिकायतों को प्राप्त करने, जांचने और उनकी सिफारिश करने के लिए की गई थी।

3. इस संबंध में 26 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित अन्य पिछड़े वर्गों की सामान्य केन्द्रीय सूची को कल्याण मंत्रालय के संकल्प सं. 12011/68/93-बी.सी.सी. (सी), दिनांक 10 सितम्बर, 1993; सं. 12011/9/94-बी.सी.सी., दिनांक 19 अक्टूबर, 1994; सं. 12011/7/95-बी.सी.सी., दिनांक 24 मई, 1995; सं. 12011/99/94-बी.सी.सी., दिनांक 11 दिसम्बर, 1997 के तहत अधिसूचित किया गया था। उपर्युक्त सूचियों को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित किया गया था और समय-समय पर संकल्प सं. 12011/96/94-बी.सी.सी., दिनांक 9 मार्च 1996; सं. 12011/44/96-बी.सी.सी., दिनांक 6 दिसम्बर, 1996; सं. 12011/13/97-बी.सी.सी., दिनांक 3 दिसम्बर, 1997; सं. 12011/68/98-बी.सी.सी., दिनांक 27 अक्टूबर, 1999; सं. 12011/88/98-बी.सी.सी., दिनांक 6 दिसम्बर, 1999; सं. 12011/36/99-बी.सी.सी., दिनांक 4 अप्रैल, 2000; सं. 12011/44/99-बी.सी.सी., दिनांक 21 सितम्बर, 2000; सं. 12015/9/2000-बी.सी.सी., दिनांक 6 सितम्बर, 2001; सं. 12011/1/2001-बी.सी.सी., दिनांक 19 जून, 2003; सं. 12011/4/2002-बी.सी.सी., दिनांक 13 जनवरी, 2004; सं. 12011/9/2004-बी.सी.सी., दिनांक 16 जनवरी, 2006; सं. 12011/14/2004-बी.सी.सी., दिनांक 12 मार्च, 2007; तथा सं. 12018/6/2005-बी.सी.सी., दिनांक 30 जुलाई, 2010, के तहत अधिसूचित किया गया था।

4. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने 6 राज्यों (छत्तीसगढ़, झारखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान) एवं 1 संघ राज्य क्षेत्र (दमन और दीव) से संबंधित अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में शामिल करने अथवा संशोधन करने के लिए जाति और समुदाय (उपजातियाँ एवं पर्यायों सहित) की सिफारिश की है।

5. सरकार ने आयोग की सिफारिशों पर विचार किया है और उन्हें स्वीकार कर लिया है। तदनुसार, उपर्युक्त राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में, परिशिष्ट में दिए गए अंतर्वेशनों/संशोधनों को एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है। ये अंतर्वेशन अथवा संशोधन इस संकल्प के जारी होने की तारीख से प्रभावी होंगे।

पी. पी. मित्रा, संयुक्त सचिव

(ii) झारखंड की अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में शामिल की गई जातियाँ/समुदाय

नई प्रविष्टि संख्या	जातियों के नाम
1.	अबदल
2.	अघोरी
3.	अमात
4.	बागदी
5.	बखो (मुस्लिम)
6.	वनपुर
7.	बड़ई
8.	बढ़ई
9.	वारी
10.	बेलदार
11.	भार
12.	भारकर
13.	भाट (मुस्लिम)
14.	भटियारा (मुस्लिम)
15.	बिन्द
16.	भुइहार, भुइयार
17.	चाय, चाईन
18.	चपौता
19.	चन्द्रवंशी (कहार)
20.	चनउ
21.	अन्य पिछड़े वर्गों से ईसाई धर्म अपनाने वाले।
22.	अनुसूचित जातियों से ईसाई धर्म अपनाने वाले।
23.	चुड़ीहार (मुस्लिम)
24.	डफाली (मुस्लिम)
25.	दांगी
26.	देवहार
27.	धामिन
28.	धानुक
29.	धनवार
30.	ढेकारु
31.	धीमर
32.	घोबी (मुस्लिम)
33.	धुनिया (मुस्लिम)
34.	गद्दी
35.	गंधर्व
36.	गंगाई (नगेश)

37.	गंगोता, गंगोथ
38.	घटवार
39.	गोड़ी (छावा)
40.	गौड़
41.	गुलगालिया
42.	इदरीसी या दर्जी (मुस्लिम)
43.	जोगी (जुगी)
44.	कादर
45.	केवर्त
46.	कागजी
47.	कलन्दर
48.	कमार (लीहार, कर्मकार)
49.	कानु
50.	कपरिया
51.	कसाब (कसाई) (मुस्लिम)
52.	केवट (कउट)
53.	खंगर
54.	खटिक
55.	खटवा
56.	खतवे
57.	खेलटा
58.	खेतौरी, खतौरी
59.	कोछ
60.	कोरफू
61.	कोस्ता, कोस्ता
62.	कुल्हैया
63.	कुर्मी (महतो)
64.	कुशवाहा (कोईरी)
65.	लहेड़ी
66.	मदार
67.	मदारी (मुस्लिम)
68.	मेहतर
	लालबेगी
	हलालखोर
	भंगी
	(मुस्लिम)
69.	मझवार
70.	मलार (मालहोर)
71.	माली (मालाकार)
72.	मल्लाह (सुरहिया)
73.	मान्यार

74.	मारकंडे
75.	मौलिक
76.	मौरियाशी
77.	मिरियासिन (मुस्लिम)
78.	मीरशिकार (मुस्लिम)
79.	मोमिन (मुस्लिम)
80.	मुकरी (मुकेशी) (मुस्लिम)
81.	नागर
82.	नाई
83.	नइया
84.	नालबंद (मुस्लिम)
85.	नामशूद्र
86.	नट (मुस्लिम)
87.	नोनिया
88.	पहिरा
89.	खाल (भेड़हार-गड़ेरी)
90.	पमरिया (मुस्लिम)
91.	पाण्डी
92.	पिनगनिया
93.	प्रधान
94.	प्रजापति (कुम्हार)
95.	राजवंशी (रिसिया और पोलिया)
96.	राजभर
97.	राजधोबी
98.	रंगवा
99.	रंगरेज (मुस्लिम)
100.	रौतिया
101.	राईन या कुंजरा (मुस्लिम)
102.	सौटा (सोता)
103.	साई (मुस्लिम)
104.	सेखड़ा
105.	शेरशाहवादी
106.	शिवहरी
107.	सोनार
108.	सुकियार
109.	तमरिया
110.	तमोली
111.	तांती (ततवा)
112.	तेली
113.	थारू
114.	ठकुराई (मुस्लिम)

115.	टिकुलहार
116.	तियर
117.	तुरहा
118.	यादव (ग्वाला, अहिर, गोप)
119.	सेकलगर (सिकलगर) (मुस्लिम)

(iii) हिमाचल प्रदेश की अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में शामिल की गई जातियां/समुदाय

विद्यमान संख्या एवं प्रविष्टि	प्रस्तावित संशोधित प्रविष्टियां
26. हजाम	हजाम, नाई
30. कुम्हार, प्रजापति	कुम्हार, प्रजापति, कुम्हार, घुमार, घुम्हार
43. पिंजा या पेंजा, पंजा	पिंजा या पेंजा, पंजा, नदफ, नदाफ
51 रिक्त	पुम्बा
52 रिक्त	हाडी

(iv) हरियाणा की अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में शामिल की गई जातियां/समुदाय

विद्यमान संख्या एवं प्रविष्टि	प्रस्तावित संशोधित प्रविष्टियां
69. सैनी	सैनी, शाक्या
1. अहेरिया, अहेरी, हेरी, नाइक, थेरी या तूरी या थोरी	अहेरिया, अहेरी, हेरी, हारी, नाइक, थेरी या तूरी या थोरी ।
19. धिमार, मल्लाह, कश्यप-राजपूत, कहार, झिनवार या झिवार, धिवार, खेवट, मेहरा, निषाद ।	धिमार, मल्लाह, कश्यप-राजपूत, कहार, झिनवार या झिवार, धिवार, खेवट, मेहरा, निषाद शकका, मिस्ती, शेख-अब्बारी ।
29. हज्जाम, नाई, सैन, सलमानी ।	हज्जाम, नाई, नाईज, सैन, सलमानी ।

शुद्धिकरण

(i) कर्नाटक और राजस्थान के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग की केन्द्रीय सूची में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा निम्नलिखित जातियों/समुदायों की वर्तनी में सुधार करने की सिफारिश की गई है।

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	प्रविष्टि संख्या	विद्यमान प्रविष्टि	प्रस्तावित शुद्धिकरण
1.	कर्नाटक	161	दैवांगा ब्राह्मण	दैवाग्ना ब्राह्मण
2.	राजस्थान	3	बढ़ई जांगिड़ खत्री खरादी सुथार तरखान	बढ़ई जांगिड़ खाती (अंग्रेजी रूपान्तरण में पहले से ही 'खाती' है) खरादी सुथार तरखान

**MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT
RESOLUTION**

New Delhi, the 18th August, 2010

No. 12015/2/2007-BCC. — The Government of India, *vide* the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension (Department of Personnel and Training) OM No.36012/22/93-Estt. (SCT), dated the 8th September, 1993 has reserved 27% of vacancies in Civil Posts and Services under the Central Government, to be filled through direct recruitment in favour of the Other Backward Classes (OBCs).

2. The National Commission for Backward Classes (NCBC) was set up as per the provisions of the National Commission for Backward Classes Act, 1993 (27 of 1993) to entertain, examine and recommend upon requests for inclusion and complaints of over-inclusion and under-inclusion in the Central Lists of OBCs.

3. The Common Central List of OBCs in respect of 26 States and UTs were notified *vide* Ministry of Welfare Resolution No.12011/68/93-BCC (c), dated the 10th September, 1993; No.12011/9/1994-BCC dated the 19th October, 1994; No.12011/7/1995-BCC, dated the 24th May, 1995; No.12011/99/94-BCC, dated the 11th December, 1997. The said lists were modified on the basis of the recommendations of the NCBC and notified from time to time *vide* Resolutions No. 12011/96/94-BCC, dated the 9th March, 1996; No.12011/44/96-BCC, dated the 6th December, 1996; No.12011/13/97-BCC, dated the 3rd December, 1997; No.12011/68/98-BCC, dated the 27th October, 1999; No.12011/88/98-BCC, dated the 6th December, 1999; No.12011/36/99-BCC, dated the 4th April, 2000; No.12011/44/99-BCC, dated the 21st September, 2000; No.12015/9/2000-BCC, dated the 6th September, 2001; No.12011/1/2001-BCC, dated the 19th June, 2003; No.12011/4/2002-BCC, dated the 13th January, 2004; No.12011/9/2004-BCC, dated the 16th January, 2006; No.12011/14/2004-BCC, dated the 12th March, 2007 and No. 12018/6/2005-BCC dated the 30th July, 2010.

4. The NCBC has recommended castes and communities (including sub-castes and synonyms) for inclusion/amendments in the Central Lists of OBCs in respect of six States (Chhattisgarh, Jharkhand, Haryana, Himachal Pradesh, Karnataka, Rajasthan) and one UT (Daman & Diu).

5. The Government has considered and accepted the recommendations of the Commission. Accordingly, the addition in the Central Lists of OBCs in respect of aforesaid States as given in the Appendix is hereby notified. These inclusion/amendments shall take effect from the date of issue of this Resolution.

P. P. MITRA, Jt. Secy.

	Kasar
	Kasera
	Tamera
	Tambatkar/Tamrakar
	Tamer
64.	Vasudev
	Basudeva,
	Basudev
	Vasudeva
	Harvola
	Kapdia
	Kapdi
	Gondhli

- (ii) The following caste/community of Jharkhand in the Central List of OBCs

New entry No.	Name of Caste Proposed Inclusion
1	Abdal
2	Aghori
3	Amaat
4	Bagdi
5	Bakho (Muslim)
6	Banpar
7	Barai
8	Barhai
9	Bari
10	Beldar
11	Bhar
12	Bhaskar
13	Bhat (Muslim)
14	Bhathiara (Muslim)
15	Bind
16	Bhuihar, Bhuiyar
17	Chain, Chayeen
18	Chapota
19	Chandrabanshi (Kahar)
20	Chanou
21	Christian converts from Other Backward Classes
22	Christian converts from Scheduled Castes
23	Churihar (Muslim)
24	Dafali (Muslim)
25	Dangi
26	Devhar

27	Dhamin
28	Dhanuk
29	Dhanwar
30	Dhekaru
31	Dhimar
32	Dhobi (Muslim)
33	Dhunia (Muslim)
34	Gaddi
35	Gandharb
36	Gangai (Nagesh)
37	Gangota, Gangoth
38	Ghatwar
39	Godi (Chhava)
40	Goud
41	Gulgaliya
42	Idrisi or Darzi (Muslim)
43	Jogi (Jugi)
44	Kadar
45	Kaivartta
46	Kagzi
47	Kalandar
48	Kamar (Lohar, Karmakar)
49	Kanu
50	Kapadia
51	Kasab (Kasai) (Muslim)
52	Kewat (Keot)
53	Khangar
54	Khatik
55	Khatwa
56	Khatwe
57	Khelta
58	Khetauri, Khatauri
59	Kochh
60	Korku
61	Kosta, Koshta
62	Kulahia
63	Kurmi (Mahto)
64	Kushwaha (Koeri)
65	Laheri
66	Madar
67	Madari (Muslim)
68	Mehtar, }
	Halalkhor, }
	Lalbegi, } (Muslim)
	Bhangi }
69	Majhwar
70	Malar (Malhor)
71	Mali (Malakar)

72	Mallah (Surhiya)
73	Mangar
74	Markande
75	Maulik
76	Mauriari
77	Miriasin (Muslim)
78	Mirshikar (Muslim)
79	Momin (Muslim)
80	Mukri (Mukeri) (Muslim)
81	Nagar
82	Nai
83	Naiya
84	Nalband (Muslim)
85	Namshudra
86	Nat (Muslim)
87	Nonia
88	Pahira
89	Pal (Bherihar-Gaderi)
90	Pamaria (Muslim)
91	Pandi
92	Pinganiya
93	Pradhan
94	Prajapati (Kumbhar)
95	Rajbanshi (Risiya and Poliya)
96	Rajbhar
97	Rajdhobi
98	Rangwa
99	Rangrez (Muslim)
100	Rauttiya
101	Rayeen or Kunjra (Muslim)
102	Sauta (Sota)
103	Sayee (Muslim)
104	Shekhra
105	Shershahbadi
106	Shivhari
107	Sonar
108	Sukiyar
109	Tamariya
110	Tamoli
111	Tanti (Tatwa)
112	Teli
113	Tharu
114	Thakurai (Muslim)
115	Tikulhar
116	Tiyar
117	Turha

118	Yadav (Gwala, Ahir, Gope)
119	Saikalgar (Sikligar) (Muslim)

- iii. The following caste/community of Himachal Pradesh in the Central List of OBCs

Existing No. & Entry	Modified Entries
26. Hajam	26. Hajam, Nai
30. Kumhar, Prajapati.	30. Kumhar, Prajapati, Kumbar, Ghumar, Ghumbar
43. Pinja or Penja, Panja	43. Pinja or Penja, Panja, Nadaf, Nadaaf
51. Nil	51. Pumba
52. Nil	52. Hadi

- iv. The following caste/community of Haryana in the Central List of OBCs

Existing No. & Entry	Modified Entries
1. Aheria, Aheri, Heri, Naik, Theri or Turi or Thori.	1. Aheria, Aheri, Hari, Heri, Naik, Theri or Turi or Thori.
19. Dhimar, Mallah, Kashyap-Rajpoot, Kahar, Jhinwar or Jhiwar, Dhiwar, Khewat, Mehra, Nishad.	19. Dhimar, Mallah, Kashyap-Rajpoot, Kahar, Jhinwar or Jhiwar, Dhiwar, Khewat, Mehra, Nishad, Sakka, Bhisti, Sheikh-Abbasi.
29. Hajjam, Nai, Sain, Salmani.	29. Hajjam, Nai, Nais, Sain, Salmani.
31. Jogi, Nath, Jangam-Jogi	31. Joginath, Jogi, Nath, Jangam-Jogi, Yogi.
39. Lakhera, Manihar	39. Lakhera, Manihar, Kachera.
57. Vanzara, Banjara or Vanjara.	57. Vanzara, Banzara, Banjara or Vanjara.



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section I

प्राधिकार में प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

नं० 274]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 12, 2010/आश्विन 20, 1932

No. 274]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 12, 2010/ASVINA 20, 1932

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 11 अक्टूबर, 2010

नं० 12015/02/2007-बी.सी.सी.— भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खण्ड 1, अंक नं० 232, दिनांक 18 अगस्त, 2010 में प्रकाशित 7 शर्तों तथा एक संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में अन्य पिछड़े वर्गों की केंद्रीय सूची में समावेदन संशोधन के संबंध में जिन संशोधन सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 18 अगस्त, 2010 के मसमखरक संकल्प की निम्नलिखित शर्तों के कालम नं० 4 में उल्लिखित शब्द वाक्यांश प्रविष्टि को कालम नं० 5 में दिए गए अनुसार पढ़ा जाए :—

क्र.सं.	दिनांक 18-8-2010	स्थान	के लिए	पढ़ें
1	केंद्र राजपत्र की पृष्ठ नं०			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2	परिशिष्ट के शीर्षक में	अन्य पिछड़े वर्गों की केंद्रीय सूची में शामिल की जाने वाली प्रस्तावित जातियाँ समुदायों की राज्य वार सूची का दर्जाने वाला विवरण।	अन्य पिछड़े वर्गों की केंद्रीय सूची में शामिल की गई जातियाँ समुदायों की राज्यवार सूची।
2	11	कालम (iii) और (iv) पर हिमाचल प्रदेश और हरियाणा की सारणी के शीर्षक में	प्रस्तावित संशोधित प्रविष्टियाँ	संशोधित प्रविष्टियाँ
3	12	कालम (v) पर कर्नाटक की सारणी के शीर्षक में	प्रस्तावित संशोधित प्रविष्टियाँ	संशोधित प्रविष्टियाँ
4	14	कालम (vi) पर दमन और दीव की सारणी के शीर्षक में	प्रस्तावित संशोधित प्रविष्टियाँ	संशोधित प्रविष्टियाँ
5	15	शुद्धिकरण शीर्षक के अंतर्गत	कर्नाटक और राजस्थान के लिए अन्य पिछड़े वर्गों की केंद्रीय सूची में राष्ट्रीय पिछड़े वर्ग आयोग द्वारा निम्नलिखित जातियों समुदायों को दर्जनी में स्थान करने की सिफारिश की गई है।	कर्नाटक और राजस्थान राज्यों के लिए अन्य पिछड़े वर्गों की केंद्रीय सूची में निम्नलिखित जातियों समुदायों को दर्जनी में स्थान वि. या गया है।
6	15	सारणी के कालम (v) के शीर्षक में	प्रस्तावित शुद्धिकरण	संशोधित प्रविष्टि

नं० 12015/02/2007-बी.सी.सी.

**MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT
CORRIGENDUM**

New Delhi, the 11th October, 2010

No. 12015/02/2007-BCC.—In the Resolution of the Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment, of even No. dated 18th August, 2010, regarding inclusion/amendments in the Central lists of OBCs in respect of 6 States and one UT as published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 4, Issue No. 232, dated August 18, 2010, the words/phrases/entry mentioned in Col. 4 of the Table below may be read as shown in Col. 5:—

Sl. No.	Page No. of the notification dated 18-8-2010	Location	For	Read
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	16	Title of the Appendix	STATEMENT SHOWING STATE-WISE LISTS OF CASTES/COMMUNITIES TO BE NOTIFIED IN THE CENTRAL LIST OF OBCs	STATE-WISE LISTS OF CASTES/COMMUNITIES INCLUDED IN THE CENTRAL LIST OF OBCs
2	21	Title of column 2 of the Table for Jharkhand	Name of Caste Proposed inclusion	Name of Caste/Sub-caste/ synonyms, etc.
3	27	Modified Entry No. 161 for Karnataka	Kambar	Kambar
4	28	Title of Col. 5 of the Table under the heading "Corrections"	Correction of spelling of the following castes/communities proposed for the States of Karnataka and Rajasthan in the Central List of OBCs.	Correction of spelling of the following castes/communities for the States of Karnataka and Rajasthan in the Central List of OBCs.
5	28	Title of Col. 5 of the Table under the heading "Corrections"	Correction Proposed	Modified Entry

P. P. MITRA, Jt. Secy.



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 257]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 8, 2011/अग्रहायण 17, 1933

No. 257]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 8, 2011/AGRAHAYANA 17, 1933

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 8 दिसम्बर, 2011

फा. सं. 12015/13/2010-बी.सी. II.— जबकि मंडल आयोग की रिपोर्ट में दोनों सूचियों में शामिल जातियों और समुदायों को समाहित करके अन्य पिछड़े वर्गों की सामान्य केन्द्रीय सूची और 26 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित अन्य पिछड़े वर्गों की सामान्य केन्द्रीय सूची को *अनुबंध-I* में यथा निर्दिष्ट कल्याण मंत्रालय के संकल्पों के तहत अधिसूचित किया गया था;

और जबकि, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (इसके बाद एनसीबीसी के रूप में संदर्भित) का गठन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 (1993 का 27) की धारा 3 के अंतर्गत किया गया था और इसे नागरिकों के किसी वर्ग को सूचियों में पिछड़ा वर्ग के रूप में शामिल करने संबंधी अनुरोध की जांच करने और ऐसी सूची में किसी पिछड़े वर्ग के अति समावेशन एवं अल्प समावेशन की शिकायतों को सुनने तथा केन्द्रीय सरकार को सलाह देने, जैसा उपयुक्त हो, के लिए उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप धारा (1) के अंतर्गत शक्तियां प्रदान की गई हैं;

और जबकि, उक्त केन्द्रीय सूची को एनसीबीसी की सिफारिशों पर संशोधित किया गया था और *अनुबंध-II* में यथानिर्दिष्ट संकल्प के तहत केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया गया था;

और जबकि, एनसीबीसी ने सोलह राज्यों नामशः आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल तथा चार संघ राज्य क्षेत्रों नामशः अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पुडुचेरी के संबंध में उक्त केन्द्रीय सूचियों में समावेशन या संशोधन के लिए जातियों एवं समुदायों (उप जातियों एवं उनके पर्याय) की आगे सिफारिश की है;

और जबकि, केन्द्रीय सरकार ने एनसीबीसी की उपरोक्त सिफारिशों पर विचार किया है और उन्हें स्वीकार कर लिया है, तथा उपर्युक्त राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में संशोधन अधिसूचित करने का निर्णय लिया है;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 2 के खंड (ग) के साथ पठित खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, **परिशिष्ट** में यथानिर्दिष्ट उपरोक्त राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में अन्य पिछड़े वर्गों की उक्त सूची में समावेशन एवं संशोधनों को एतद्वारा अधिसूचित करती है। ये समावेशन और संशोधन राजपत्र में इस संकल्प के प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।

परिशिष्ट

निम्नलिखित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में शामिल करना/संशोधन करना:

1. आन्ध्र प्रदेश
2. असम
3. बिहार
4. छत्तीसगढ़
5. गोवा
6. हिमाचल प्रदेश
7. झारखंड
8. कर्नाटक
9. केरल
10. मध्य प्रदेश
11. महाराष्ट्र
12. उड़ीसा
13. सिक्किम
14. तमिलनाडु
15. उत्तराखंड
16. पश्चिम बंगाल
17. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
18. चंडीगढ़
19. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
20. पुडुचेरी

विद्यमान प्रविष्टि	नई प्रविष्टि
65. शून्य	65. अघरिया
66. शून्य	66. मोवार
67. शून्य	67. नट (अनुसूचित जाति सूची में शामिल से भिन्न)

गाँवा

विद्यमान प्रविष्टि	नई प्रविष्टि
17. शून्य	17. क्रिश्चियन रैंडर्स (वे व्यक्ति जो वास्तव में ताड़ी के कारोबार में संलग्न हैं)
18. शून्य	18. कोमरपंत
19. शून्य	19. थाकर

हिमाचल प्रदेश

विद्यमान प्रविष्टि	नई प्रविष्टि
51. शून्य	51. सैनी

झारखंड

विद्यमान प्रविष्टि	संशोधित प्रविष्टि
8. बड़ई	8. बड़ई, विश्वकर्मा
13. भाट (मुस्लिम)	13. भाट, भट्ट, भाट (मुस्लिम)
35. गंधर्व	35. गंधर्व, गंदर्म
45. केवर्त	45. केवर्त, कोईबरता
48. कुमार (लोहार, कर्मकार)	48. कुमार (लोहार, कर्मकार), विस्वाकर्मा
63. कुर्मी (महतो)	63. कुर्मी, कुर्मी (महतो)
72. मल्लाह (सुरहिया)	72. मल्लाह (सुरहिया), केवट मुरावरी
73. मानार	73. मानार (मागर)
76. मौरियारी	76. मौरियारी, मौरियारो, मौरियारा
79. मोमिन (मुस्लिम)	79. मोमिन (मुस्लिम), जुलाहा, अंसारी
81. नागर	81. नागर (इसमें मैथली ब्राह्मण और अन्य राज्यों के अप्रवासी नागर, जो ब्राह्मण और बनियाँ हैं, शामिल नहीं हैं)
87. नोनिया	87. नोनिया, नुनिया
89. पाल (भेड़िहार-गड़ेरी)	89. पाल (भेड़िहार-गड़ेरी), गड़ेरिया
107. सोनार	107. सोनार, सुनार
110. तमोली	110. तमोली, तम्बोली
111. तांती (ततवा)	111. तांती (ततवा), ताति, तातीन
118. यादव (ग्वाला, अहिर, गोप)	118. यादव (ग्वाला, अहिर, गोप), मंहर, सदगोप
120. शून्य	120. चिक (मुस्लिम)
विद्यमान प्रविष्टि	नई प्रविष्टि

121. शून्य	121. बैरागी
122. शून्य	122. सुदी, हलवाई, रोनियार, पंसारी, मांटी, कसेरा, केसरवानी, ठठेरा, पटवा, सिंदुरिया-बनिया, माहुरी-वैश्य, अवध-बनिया/अदरखी, अग्रहरी-वैश्य
123. शून्य	123. धनकर
124. शून्य	124. कलाल, इराकी
125. शून्य	125. कलवार
126. शून्य	126. परया
127. शून्य	127. कौरा

कर्नाटक

विद्यमान प्रविष्टि	संशोधित प्रविष्टि
53. मेदारा, लिंगायत मेघार, बट्टेर, बर्नड, गौरी, गौरीमराठा	53. मेदारा, लिंगायत मेघार, बट्टेर, बर्नड, गोवरिगा, गौरी, गौरीमराठा

केरल

विद्यमान प्रविष्टि	नई प्रविष्टि
81. शून्य	81. काँगु वेल्लाला गोंडर, वेल्लाला, गोंडर, नट्टू गोंडर, पाला गोंडर, पूसारी गोंडर और पाला वेल्लाला गोंडर सहित

महाराष्ट्र

विद्यमान प्रविष्टि	संशोधित प्रविष्टि
14. भडभुंजा	14. भडभुंजा, भुरजवा, भुरजावा, भुर्जी, भारदबहुंगा, भुरंजी, भुंज
26. देवदिग	26. देवदिग, देवडिगा
28. धांगर, धनगरी	28. धांगर, धनगरी, दांगे, दांगरी
39. गवांडी	39. गवांडी, गुजर कादिया
66. कोश्टी, हलबा कोश्टी, लाडकोश्टी, गढ़ेवाल कोश्टी, जैनकोश्टी	66. कोश्टी, हलबा कोश्टी, लाडकोश्टी, गढ़ेवाल कोश्टी, जैनकोश्टी, सालेवर, पदमशाली, चानेवर/चानेवर/ चंन्नेवर
133. शिम्पी, भावगर, शिव शिम्पी, नामदेव, जैन-शिम्पी, श्रावक-शिम्पी, शेटवल, शेटवाल	133. शिम्पी, भावगर, शिव शिम्पी, नामदेव, जैन-शिम्पी, श्रावक-शिम्पी, शेटवल, शेटवाल, सँसुतार
159. माली (उप जाति: फूलमाली, फुले, हलादे, कचा, कादु, बवाने, एडप्रभु, एद सेठी, जिरे, उण्डे, लिंगयात माली, बंका माली, गासे माली, कोसारे माली, मरार, मराल, सवता माली, वन माली, बागबन/रायीन)	159. माली (उप जाति: फूलमाली, फुले, हलादे, कचा, कादु, बवाने, एडप्रभु, एद सेठी, जिरे, उण्डे, लिंगयात माली, बंका माली, गासे माली, कोसारे माली, मरार, मराल, सवता माली, वन माली, बागबन/रायीन), सूतारस, मालीस, वादवल्स, चाउकलशिश,
169. तम्बोली	169. तम्बोली, धाकड, मितकारी-वाणि, वाणि, बोसल, बोसल,

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

RESOLUTION

New Delhi, the 8th December, 2011

F. No. 12015/13/2010-BC II.—Whereas the Common Central List of Other Backward Classes (OBCs) comprising castes and communities included in both the lists in the report of the Mandal Commission and the lists of the State Governments were notified in respect of 26 States and Union territories vide Ministry of Welfare Resolutions as specified in **Annexure I**;

And whereas, the National Commission for Backward Classes (hereinafter referred to as NCBC) set up under section 3 of the National Commission for Backward Classes Act, 1993 (27 of 1993) has been empowered under sub-section (1) of section 9 of the Act to examine requests for inclusion of any class of citizens as backward class in the lists and hear complaints of over-inclusion and under-inclusion of any backward class in such lists and tender such advice to the Central Government as it deems appropriate;

And whereas, the said Central List has been modified, on the recommendations of NCBC, and notified from time to time by the Central Government vide Resolutions as specified in **Annexure II**;

And whereas, the NCBC has further recommended castes and communities (including sub-castes and their synonyms) for inclusion or amendment in the said Central Lists in respect of sixteen States, namely, Andhra Pradesh, Assam, Bihar, Chhattisgarh, Goa, Himachal Pradesh, Jharkhand, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Orissa, Sikkim, Tamil Nadu, Uttarakhand and West Bengal, and four Union territories, namely, Andaman & Nicobar Islands, Chandigarh, National Capital Territory of Delhi and Puducherry;

And whereas, the Central Government has considered and accepted the aforesaid recommendations of the NCBC, and have decided to notify modifications in the Central Lists of OBCs of the aforesaid States and Union territories;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by clause (a) read with clause (c) of section 2 of the said Act, hereby notifies the inclusion and amendments in the said Central Lists of OBCs in respect of the aforesaid States and Union territories, as specified in the **Appendix**. These inclusions and amendments shall take effect from the date of publication of this Resolution in the Gazette.

APPENDIX**Part - A****LIST OF STATES/UTS IN RESPECT OF WHICH INCLUSION/AMENDMENTS IN THE CENTRAL LIST
OF OTHER BACKWARD CLASSES (OBCs) ARE BEING NOTIFIED**

1. Andhra Pradesh
2. Assam
3. Bihar
4. Chhattisgarh
5. Goa
6. Himachal Pradesh
7. Jharkhand
8. Karnataka
9. Kerala
10. Madhya Pradesh
11. Maharashtra
12. Orissa
13. Sikkim
14. Tamil Nadu
15. Uttarakhand
16. West Bengal
17. Andaman & Nicobar Islands
18. Chandigarh
19. N.C.T. of Delhi
20. Puducherry

Existing Entry	New Entry
65. Nil	65. Agharia
66. Nil	66. Mowar
67. Nil	67. Nat (other than those included in the SC List)

Goa

Existing Entry	New Entry
17. Nil	17. Christian Renders (who are actually in the profession of toddy tapping)
18. Nil	18. Komarpant
19. Nil	19. Thakar

Himachal Pradesh

Existing Entry	New Entry
51. Nil	51. Saini

Jharkhand

Existing Entry	Modified Entry
8. Barhai	8. Barhai, Viswakarma
13 Bhat (Muslim)	13 Bhat, Bhatt, Bhat (Muslim)
35. Gandharb	35. Gandharb, Gandarb
45 Kaivartta	45 Kaivartta, Kaibartta

48. Kamar (Lohar, Karmakar)	48. Kamar (Lohar, Karmakar), Visvakarma
63. Kurmi (Mahto)	63. Kurmi , Kurmi (Mahto)
72. Mallah (Surhiya)	72. Mallah (Surhiya), Kewat Murawari
73. Mangar	73. Mangar (Magar)
76. Mauriari	76. Mauriari, Mauriario, Mauriara
79. Momin (Muslim)	79. Momin (Muslim), Julaha, Ansari
81. Nagar	81. Nagar (This does not include Maithili Brahmins and immigrant Nagars from other States who are Brahmins and Baniyas)
87. Nonia	87. Nonia, Nunia
89. Pal (Bherihar-Gaderi)	89. Pal (Bherihar-Gaderi), Gaderia
107. Sonar	107. Sonar, Sunar
110. Tamoli	110. Tamoli, Tamboli
111. Tanti (Tatwa)	111. Tanti (Tatwa), Tati, Tatin
118. Yadav(Gwala, Ahir, Gope)	118. Yadav(Gwala, Ahir, Gope), Mehar, Sadgop
Existing Entry	New Entry
120. Nil	120. Chik (Muslim)
121. Nil	121. Bairagi

122. Nil	122. Sudi, Halwai, Roniyar, Pansari, Modi, Kasera, Kesarwani, Thathera, Patwa, Sinduriya-Bania, Mahuri-Vaishya, Awadh-Bania/ Adrakhi, Agrahari-Vaishya.
123. Nil	123. Dhankar
124. Nil	124. Kalal, Eraqui
125. Nil	125. Kalwar
126. Nil	126. Parya
127. Nil	127. Kaura

Karnataka

Existing Entry	Modified Entry
53. Medara, Lingayat Medhar, Batter, Burned, Gowri, Gowrimaratha	53. Medara, Lingayat Medhar, Batter, Burned, Gowriga, Gowri, Gowrimaratha.

Kerala

Existing Entry	New Entry
81. Nil	81. Kongu Vellala Gounder including Vellala Gounder, Nattu Gounder, Pala Gounder, Poosari Gounder and Pala Vellala Gounder.

Maharashtra

Existing Entry	Modified Entry
14. Bhadbhunja	14. Bhadbhunja, Bhurjawa, Bhurji, Bharadbhunga, Bhuranji, Bhunj
26. Devdig	26. Devdig, Dewadiga


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 41]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 17, 2014/माघ 28, 1935

No. 41]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 17, 2014/MAGHA 28, 1935

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

(सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 2014

फा.सं.12015/05/2011-बी.सी.II.— जबकि मंडल आयोग की रिपोर्ट में दोनों सूचियों में शामिल जातियों और समुदायों को समाहित करके अन्य पिछड़े वर्गों की सामान्य केन्द्रीय सूची और 26 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित अन्य पिछड़े वर्गों की सामान्य केन्द्रीय सूची को अनुबंध-1 में यथा निर्दिष्ट कल्याण मंत्रालय के संकल्पों के तहत अधिसूचित किया गया था;

और जबकि, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (इसके बाद एनसीबीसी के रूप में संदर्भित) का गठन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 (1993 का 27) की धारा 3 के अंतर्गत किया गया था और इसे नागरिकों के किसी वर्ग को सूचियों में पिछड़ा वर्ग के रूप में शामिल करने संबंधी अनुरोध की जांच करने और ऐसी सूची में किसी पिछड़े वर्ग के अति समावेशन एवं अल्प समावेशन की शिकायतों को सुनने तथा केन्द्रीय सरकार को सलाह देने, जैसा उपयुक्त हो, के लिए उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप धारा (1) के अंतर्गत शक्तियां प्रदान की गई हैं;

और जबकि, उक्त केन्द्रीय सूची को एनसीबीसी की सिफारिशों पर संशोधित किया गया था और अनुबंध-II में यथानिर्दिष्ट संकल्प के तहत केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया गया था;

और जबकि, एनसीबीसी ने 13 राज्यों नामशः आंध्र प्रदेश, बिहार, गोवा, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और 3 संघ राज्य क्षेत्रों नामशः राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, पुडुचेरी और चंडीगढ़ के संबंध में उक्त केन्द्रीय सूचियों में समावेशन या संशोधन के लिए जातियों एवं समुदायों (उप जातियों एवं उनके पर्याय) की आगे सिफारिश की है;

और जबकि, केन्द्रीय सरकार ने एनसीबीसी की उपरोक्त सिफारिशों पर विचार किया है और उन्हें स्वीकार कर लिया है तथा उपर्युक्त राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में संशोधन अधिसूचित करने का निर्णय लिया है;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 2 के खंड (ग) के साथ पठित खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, परिशिष्ट में यथानिर्दिष्ट उपरोक्त राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में अन्य पिछड़े वर्गों की उक्त सूची में समावेशन एवं संशोधनों को एतद्वारा अधिसूचित करती है। ये समावेशन और संशोधन राजपत्र में इस संकल्प के प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।

परिशिष्ट

भाग - क

निम्नलिखित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में शामिल करना/संशोधन करना :

1. आंध्र प्रदेश
2. बिहार
3. गोवा
4. हिमाचल प्रदेश
5. झारखण्ड
6. कर्नाटक
7. केरल
8. महाराष्ट्र
9. पंजाब
10. तमिलनाडु
11. उत्तराखण्ड
12. उत्तर प्रदेश
13. पश्चिम बंगाल
14. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
15. पुडुचेरी
16. चण्डीगढ़

भाग - ख

राज्य-वार अन्य पिछड़ा वर्ग की केन्द्रीयसूची में संशोधन

(i) आंध्र प्रदेश

विद्यमान प्रविष्टि	नई प्रविष्टियां
108. शून्य	108. गुडिआ/गुडिया (श्रीकाकुलम, विजयानगरम तथा विशाखापट्टनम जिलों तक ही

	सीमित)
109. शून्य	109. कुर्मी (तेलंगाना क्षेत्र तथा कृष्णा जिले तक ही सीमित)
110. शून्य	110. बुडुबुंजाला/भुंजवा/भडभुंजा (हैदराबाद तथा रंगारेड्डी जिलों तक ही सीमित)
111. शून्य	111. लक्कामारी कापू (तेलंगाना क्षेत्र तक ही सीमित)

(ii) गोवा

विद्यमान प्रविष्टि	नई प्रविष्टि
20. शून्य	20. विश्वकर्मा/चारी/मेस्ता

(iii) हिमाचल प्रदेश

विद्यमान प्रविष्टि	संशोधित/नई प्रविष्टियां
2. अरद पोप	2. अरद पोप, पोपो ब्राह्मण
27. धींवर या झींवर, झींवर	27. धींवर या झींवर, झींवर, झिवर, झियूर, झीर
54. शून्य	54. अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को छोड़कर जिला मंडी की चोहार घाटी की 12 ग्राम पंचायतों "बरधान, बरोट, बथेरी, धमच्याण, कथोग, लटरान, लपास, रोपा, सिलवधवानी, सुधार, टिक्कर, तरस्वान में निवास करने वाले चौहारका

(iv) झारखण्ड

विद्यमान प्रविष्टि	नई प्रविष्टियां
128. शून्य	128. छिपी
129. शून्य	129. मयरा (मैरा) मोदक

(v) कर्नाटक

विद्यमान प्रविष्टि	संशोधित/नई प्रविष्टियां
145. तिगाला, थिगाला, तिगलर, वाणिकूला क्षत्रिय, वन्निया, वन्नियार, वन्निया गावन्डर, गाऊंडर/गौवन्डर, पदयाची, कांडेर, शंभुकुला क्षत्रिय, अग्निकुला क्षत्रिय, धर्मराजा कापु, कुरोवान, पल्ली	145. तिगाला, थिगाला, तिगलर, वाणिकूला क्षत्रिय, वन्निया, वन्नियार, वन्निया गावन्डर, गाऊंडर/गौवन्डर, पदयाची, कांडेर, शंभुकुला क्षत्रिय, अग्निकुला क्षत्रिय, धर्मराजा कापु, कुरोवान, पल्ली, अग्निवन्नी, अग्निवन्श क्षत्रिय
146. बेलदार, चूनार, गवंदी, गोवंदी, गावदी, गांडी, मेलूसक्करे, काल्लू कुटीगा उप्परा, मेलूसक्करेयावरू, नामदा उपारा, सुन्ना उप्पारा, सुन्नागारा, पदित/पद्धति, पदिथि, उप्पपलिगा, उप्पपलिगा सेट्ठी, सागर, सागरा, केरेबंदीयावरू, लोनारी, येक्कली, याकालरा	146. उप्पारा, उप्पर, उप्पेरा, लिंगायत उप्पारा/सुन्नागारा, उप्पलियान, बेलदार, चूनार, गवंदी, गोवंदी, गावदी, गांडी, मेलूसक्करे, काल्लू कुटीगा उप्परा, मेलूसक्करेयावरू, नामदा उपारा, सुन्ना उप्पारा, सुन्नागारा, पदित/पद्धति, पदिथि, उप्पपलिगा, उप्पपलिगा सेट्ठी, सागर, सागरा, केरेबंदीयावरू, लोनारी, येक्कली, याकालरा
155. इडिगा, बेलचाड, पूजारी, देशा भंडारी, ईडिगा, इलिगा, ईलिगा, हालेपाइक, होलेपाइ-	155. इडिगा, बेलचाड, पूजारी, देशा भंडारी, ईडिगा, इलिगा, ईलिगा, हालेपाइक, होलेपाइ-कारू, बिल्लावा, देवार, मलयाली बिल्लावा, दीवार,

	बीसीसी		उत्तर प्रदेश
12.	सं.12011/09/2004-बीसीसी	17.01.2006	आंध्र प्रदेश, बिहार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पुडुचेरी और उत्तर प्रदेश
13.	सं.12011/14/2004-बीसीसी	12.03.2007	दमन एवं दीव, अंडमान एवं निकोबार, उत्तरांचल, पुडुचेरी, त्रिपुरा, कर्नाटक, गुजरात और महाराष्ट्र
14.	सं.12011/16/07-बीसीसी	12.10.2007	पंजाब और उड़ीसा
15.	सं.12018/06/05-बीसीसी	30.07.2010	बिहार
16.	सं.12015/02/07-बीसीसी	18.08.2010	छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, राजस्थान और दमन एवं दीव
17.	सं.12015/15/08-बीसीसी	16.06.2011	आंध्र प्रदेश, बिहार, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और पुडुचेरी
18.	सं.12015/13/2010-बीसी-2	08.12.2011	आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एवं पुडुचेरी

गजाला मीनाई, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

(Department of Social Justice and Empowerment)

RESOLUTION

New Delhi, the 17th February, 2014

F.No.12015/05/2011-BC-II.— Whereas the Common Central List of Other Backward Classes(OBCs) comprising castes and communities included in both the lists in the report of the Mandal Commission and the Lists of the State Governments were notified in respect of 26 States and Union Territories vide Ministry of Welfare Resolutions as specified in **Annexure-I**;

And whereas, the National Commission for Backward Classes (hereinafter referred to as NCBC) set up under section 3 of the National Commission for Backward Classes Act, 1993 (27 of 1993) has been empowered under sub-section (1) of section 9 of the Act to examine requests for inclusion of any class of citizens as backward classes in the lists and hear complaints of over-inclusion and under-inclusion of any backward class in such lists and tender such advice to the Central Government as it deems appropriate;

And whereas, the said Central List has been modified, on the recommendations of NCBC, and notified from time to time by the Central Government vide Resolutions as specified in **Annexure-II**;

And whereas, the NCBC has further recommended castes and communities (including sub-castes and their synonyms) for inclusion or amendment in the said Central Lists in respect of thirteen States, namely, Andhra Pradesh, Bihar, Goa, Himachal Pradesh, Jharkhand, Karnataka, Kerala, Maharashtra, Punjab, Tamil Nadu, Uttarakhand, Uttar Pradesh and West Bengal and three Union Territories, namely, Chandigarh, Delhi and Puducherry;

And whereas, the Central Government has considered and accepted the aforesaid recommendations of the NCBC, and have decided to notify modifications in the Central Lists of OBCs of the aforesaid States and Union Territories;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by clause (a) read with clause (c) of section 2 of the said Act, hereby notifies the inclusion and amendments in the said Central Lists of OBCs in respect of the aforesaid States and Union Territories, as specified in the **Appendix**. These inclusions and amendments shall take effect from the date of publication of this Resolution in the Official Gazette.

APPENDIX

PART-A

LIST OF STATES/UNION TERRITORIES IN RESPECT OF WHICH INCLUSION/AMENDMENTS IN THE CENTRAL LIST OF OTHER BACKWARD CLASSES (OBCs) ARE BEING NOTIFIED

1. Andhra Pradesh
2. Bihar
3. Goa
4. Himachal Pradesh
5. Jharkhand
6. Karnataka
7. Kerala
8. Maharashtra
9. Punjab
10. Tamil Nadu
11. Uttarakhand
12. Uttar Pradesh
13. West Bengal
14. N.C.T. of Delhi
15. Puducherry
16. Chandigarh

PART-B

STATE-WISE MODIFICATIONS IN THE CENTRAL LIST OF OBCs

(i) **Andhra Pradesh**

Existing Entries	New Entries
108. Nil	108. Gudia/ Gudiya (confined to Srikakulam, Vizianagaram and Visakhapatnam Districts only)
109. Nil	109. Kurmi (confined to Telangana Region and also Krishna District only)
110. Nil	110. Budubunjala/ Bhunjwa/ Bhadbhunja (confined to Hyderabad and Ranga Reddy Districts only)
111. Nil	111. Lakkamari Kapu (confined to Telangana Region only)

(ii) **Goa**

Existing Entry	New Entry
20. Nil	20. Vishwakarma/ Chari/ Mesta

(iii) **Himachal Pradesh**

Existing Entries	Modified/New Entries
2. Ard Pop	2. Ard Pop. Popo Brahman

27. Dhinwar or Jhinwar, Jheewar	27. Dhinwar or Jhinwar, Jheewar, Jhiwar, Jheur, Jheer
54. Nil	54. Choharka other than SC and ST residing in 12 Gram Panchayats in Choharghati of Mandi District (HP) viz. "Bardhan, Barot, Batheri, Dhamchyan, Kathog, Latran, Lapas, Ropa, Silbadwani, Sudhar, Tikkar and Tarswan".

(iv) **Jharkhand**

Existing Entries	New Entries
128. Nil	128. Chhipi
129. Nil	129. Mayra (Maira) Modak

(v) **Karnataka**

Existing Entries	Modified/New Entries
145. Tigala, Thigala, Tigler, Vannikula Kshatriya, Vanniya, Vanniyar, Vannia Gounder, Gounder/ Gownder, Padayachi, Kander, Shambhukula Kshatriya, Agnikula Kshatriya, Dharmaraja Kapu, Kurovan, Palli	145. Tigala, Thigala, Tigler, Vannikula Kshatriya, Vanniya, Vanniyar, Vannia Gounder, Gounder/ Gownder, Padayachi, Kander, Shambhukula Kshatriya, Agnikula Kshatriya, Dharmaraja Kapu, Kurovan, Palli, Agnivanni, Agni Vamsha Kshatriya
146. Beldar, Chunar, Gavandi, Govandi, Gavadi, Goundi, Melusakkare, Kallu Kutiga Uppara, Melusakkreyavaru, Namada Uppara, Sunna Uppara, Sunnagara, Padit/Padti, Padithi, Uppaliga, Uppaliga Shetty, Sagar, Sagara, Kerebandiyavaru, Lonari, Yekkali, Yakalara	146. Uppara, Uppar, Uppera. Lingayat Uppara/ Sunnagara, Uppaliyan, Beldar, Chunar, Gavandi, Govandi, Gavadi, Goundi, Melusakkare, Kallu Kutiga Uppara, Melusakkreyavaru, Namada Uppara, Sunna Uppara, Sunnagara, Padit/ Padti, Padithi, Uppaliga, Uppaliga Shetty, Sagar, Sagara, Kerebandiyavaru, Lonari, Yekkali, Yakalara
155. Idiga, Belchad, Poojari, Desha Bhandari, Ediga, Eliga, Iliga, Halepaik, Halepaikaru, Billava, Devar, Malayali Billava, Devar, Devaramakkalu, Divaramakkalu, Namdhari, Kalal, Goundla, Goondla, Thiyan, Thiyyan, Tiyan, Ezhava, Thiyya, Nadar	155. Idiga, Belchad, Poojari, Desha Bhandari, Ediga, Eliga, Iliga, Halepaik, Halepaikaru, Billava, Devar, Malayali Billava, Devar, Devaramakkalu, Divaramakkalu, Namdhari, Kalal, Goundla, Goondla, Thiyan, Thiyyan, Tiyan, Ezhava, Thiyya, Nadar, Gamalla
157. Darzi, Bhavasar Kshatriya, Chippi, Chippiga, Simpi, Shimpi, Lingayat Simpy, Sivasimpy, Sai, Mirai, Rangari, Rangrez, Nilari, Namdev, Namdev Simpy, Rangare, Neelagar, Lingayat Neelagar	157. Darzi, Bhavasar Kshatriya, Chippi, Chippiga, Simpi, Shimpi, Lingayat Simpy, Sivasimpy, Sai, Mirai, Rangari, Rangrez, Nilari, Namdev, Namdev Simpy, Rangare, Neelagar, Lingayat Neelagar, Banagara
160. Pategar, Patvekari, Pattegar	160. Pategar, Patvekari, Pattegar, Somavamsha Sahasrarjuna Kshatriya
167. Balija, Balajiga, Banajiga, Bale Balajiga, Dasa Banajiga, Naidu, Bhogam/Teluga, Telaga Balija, Teluga Banajiga, Setty Balija, Setty Banajiga, Kasban, Mannur/Munnar, Mutrasi, Matracha, Janappan, Balegara, Lingayat Balegala/ Baleshetaru	167. Balija, Balajiga, Banajiga, Bale Balajiga, Dasa Banajiga, Naidu, Bhogam/ Teluga/ Kalavanthi , Telaga Balija, Teluga Banajiga, Setty Balija, Setty Banajiga, Kasban, Mannur/ Munnar, Mutrasi, Matracha, Janappan, Balegara, Lingayat Balegala/ Baleshetaru
196. Nil	196. Raya Rawath, Ravat
197. Nil	197. Daveri
198. Nil	198. Garudi, Garudiga, Garadiga (Hindu and Muslim) (whose traditional occupation is snake-charming and performing juggling and acrobats)
199. Nil	199. Andi, Andipandaram

(vi) **Kerala**

Existing Entries	Modified/New Entries
54. Saliya	54. Saliya, Chaliya (Chaliyan) (whose caste profession is cotton weaving)



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 363]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 7, 2016/अग्रहायण 16, 1938

No. 363]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 7, 2016/AGRAHAYANA 16, 1938

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

(सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 6 दिसम्बर, 2016

फा.सं.12011/06/2014-बी.सी.II.- जबकि मंडल आयोग की रिपोर्ट तथा राज्य सरकारों की सूची दोनों में शामिल जातियों और समुदायों को समाहित करके 26 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में अन्य पिछड़े वर्गों की सामान्य केन्द्रीय सूची को अनुबंध-1 में यथानिर्दिष्ट कल्याण मंत्रालय के संकल्पों के तहत अधिसूचित किया गया था;

और जबकि, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (इसके बाद एनसीबीसी के रूप में संदर्भित) का गठन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 (1993 का 27) की धारा 3 के अंतर्गत किया गया था और इसे नागरिकों के किसी वर्ग को सूचियों में पिछड़ा वर्ग के रूप में शामिल करने संबंधी अनुरोध की जांच करने और ऐसी सूची में किसी पिछड़े वर्ग के अति समावेशन एवं अल्प समावेशन की शिकायतों को सुनने तथा केन्द्रीय सरकार को सलाह देने, जैसा उपयुक्त हो, के लिए उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप धारा (1) के अंतर्गत शक्तियां प्रदान की गई हैं;

और जबकि, उक्त केन्द्रीय सूची को एनसीबीसी की सिफारिशों पर संशोधित किया गया था और अनुबंध-II में यथानिर्दिष्ट संकल्प के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया गया था;

और जबकि, एनसीबीसी ने सात राज्यों क्रमशः असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तराखण्ड राज्यों की अन्य पिछड़ा वर्ग की केन्द्रीय सूची में समावेशन/संशोधन के लिए जातियों/समुदायों (उप जातियों एवं उनके पर्याय) की आगे सिफारिश की है और जम्मू एवं कश्मीर राज्य सरकार ने भी दो जाति/समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग की केन्द्रीय सूची में समावेशन हेतु सिफारिश की है !

और जबकि, उपरोक्त राज्यों के संबंध में केन्द्रीय सरकार ने एनसीबीसी की सिफारिशों के साथ-साथ जम्मू एवं कश्मीर राज्य की सिफारिशों पर विचार किया है और उन्हें स्वीकार कर लिया है तथा उपर्युक्त राज्यों की अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में समावेशन/संशोधन हेतु अधिसूचित करने का निर्णय लिया है;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 2 के खंड (ग) के साथ पठित खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, परिशिष्ट में यथानिर्दिष्ट उपरोक्त राज्यों के संबंध में अन्य पिछड़े वर्गों की उक्त केन्द्रीय सूची में समावेशन/संशोधन एतद्वारा अधिसूचित करती है। ये संशोधन सरकारी राजपत्र में इस संकल्प के प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।

बी.एल. मीना, संयुक्त सचिव

परिशिष्ट

निम्नलिखित राज्यों से संबंधित अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में समावेशन/संशोधन करना :

1. बिहार
 2. झारखण्ड
 3. महाराष्ट्र
 4. मध्य प्रदेश
 5. उत्तराखण्ड
 6. जम्मू और कश्मीर
 7. हिमाचल प्रदेश
 8. असम
- बिहार

विद्यमान प्रविष्टियाँ	नई प्रविष्टियाँ
135. शून्य	135. छीपी
136. शून्य	136. ईटफरोश/ईटाफरोश/गदहेडी

झारखण्ड

विद्यमान प्रविष्टियाँ	संशोधित प्रविष्टियाँ
4. बागदी	4. बागदी, बागती
विद्यमान प्रविष्टियाँ	नई प्रविष्टियाँ
130. शून्य	130. लेट
131. शून्य	131. कुनाई
132. शून्य	132. पुष्पनामित
133. शून्य	133. झोरा
134. शून्य	134. लक्ष्मी नारायण गोला

37.	सं.12011/04/14-बीसी-II	11.08.2016	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना
38	सं.12011/04/14-बीसी-II	26.08.2016	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

(Department of Social Justice and Empowerment)

RESOLUTION

New Delhi, the 6th December, 2016

No.12011/6/2014-BC-II.—Whereas the Common Central List of Other Backward Classes comprising castes and communities included in both the lists in the report of the Mandal Commission and the lists of the State Governments were notified in respect of 26 States and Union territories vide the erstwhile Ministry of Welfare Resolutions as specified in **Annexure-I**;

And whereas, the National Commission for Backward Classes (hereinafter referred to as the NCBC) constituted under section 3 of the National Commission for Backward Classes Act, 1993 (27 of 1993), hereinafter referred to as the said Act, has been empowered under sub-section (1) of section 9 of the said Act to examine requests for inclusion of any class of citizens as backward classes in the lists and hear complaints of over-inclusion and under-inclusion of any backward class in such lists and tender such advice to the Central Government as it deems appropriate;

And whereas, the said Central List has been amended, on the recommendations of the NCBC, and notified from time to time by the Central Government vide Resolutions as specified in **Annexure-II**;

And whereas, the NCBC has further recommended castes/communities for inclusion/amendment in the said Central List in respect of seven States (Assam, Bihar, Jharkhand, Maharashtra, Madhya Pradesh, Uttarakhand and Himachal Pradesh). State Government of Jammu and Kashmir has also recommended for inclusion of two castes/communities in the Central List of Other Backward Classes for the State of Jammu and Kashmir.

And whereas, the Central Government has considered and accepted the aforesaid recommendations of the NCBC and recommendation of Government of Jammu and Kashmir and have decided to notify inclusion/amendment in the Central List of Other Backward Classes of the aforesaid States;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by clause (a) read with clause (c) of section 2 of the said Act, hereby notifies the inclusions/amendments in the said Central Lists of Other Backward Classes in respect of the aforesaid States, as specified in the **Appendix**, which shall take effect from the date of publication of this Resolution in the Gazette.

B.L. MEENA, Jt. Secy.

APPENDIX

LIST OF STATES/UNION TERRITORIES IN RESPECT OF WHICH INCLUSIONS/AMENDMENTS IN THE CENTRAL LIST OF OTHER BACKWARD CLASSES (OBCs) ARE BEING NOTIFIED

1. Bihar
2. Jharkhand
3. Maharashtra
4. Madhya Pradesh
5. Uttarakhand
6. Jammu and Kashmir
7. Himachal Pradesh
8. Assam

BIHAR

Existing Entry	New Entry
135. Nil	135. Chhipi

136. Nil	136. Itfarosh/Itafarosh/ Gadheri
----------	----------------------------------

JHARKHAND

Existing Entry	Modified Entry
4. Bagdi	4. Bagdi, Bagti
Existing Entry	New Entry
130. Nil	130. Late
131. Nil	131. Kunai
132. Nil	132. Pushpanamit
133. Nil	133. Jhora
134. Nil	134. Laxmi Narayan Gola

MAHARASHTRA

Existing Entry	Modified Entry
86. Mahli	86. Mahli, Mhali

MADHYA PRADESH

Existing Entry	Modified Entry
18. Dhobi (excluding Bhopal, Raisen, Sehore Districts i.e. excluding the areas where they are listed as Scheduled Castes)	18. Dhobi (excluding Bhopal, Raisen, Sehore Districts i.e. excluding the areas where they are listed as Scheduled Castes), Rajak
33. Thathara, Thatera, Kasar, Kasera, Tamera, Tambatkar/Tamrakar, Tamer,	33. Thathara, Thatera, Kasar, Kasera, Tamera, Tambatkar/Tamrakar, Tamer, Otari, Kaser
59(8) Pinjara, Naddaf, Fakir/Faquir, Behna, Dhuniya, Dhunkar, Mansoori	59(8) Pinjara, Naddaf, Fakir/Faquir, Behna, Dhuniya, Dhunkar, Mansoori, Sai, Shah, KabraKhodu
59(20) Teli, Nayata, Pindari (Pindara)	59(20) Teli, Nayata, Pindari (Pindara), Kankar
63. Panika (except in Districts of Chhatarpur, Datia, Panna, Rewa, Satna, Shahdol, Sidhi and Tikamgarh where it is included in the Scheduled Tribes List)	63. Panika, Panka (except in Districts of Chhatarpur, Panna, Rewa, Satna, Shahdol, Umaria , Sidhi, Tikamgarh and Sevda and Datia Tehsils of Datia district, where it is included in the Scheduled Tribes List)

Existing Entry	New Entry
59(28). Nil	59(28). Shishgar
59(29). Nil	59(29). Rajgir
59(30). Nil	59(30). Dafali
59(31). Nil	59(31). Sikligar
59(32). Nil	59(32). Nakkal
68. Nil	68. Rajjad, Rajjhad

UTTARAKHAND

Existing Entry	Modified Entry
11. Barhai, Badhai, Viswakarma, Ramgarhia	11. Barhai, Badhai, Viswakarma, Ramgarhia, Dhiman